



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-71

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271903 दिनांक 16/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Satya Narayan Saini S/o SITA RAM SAINI एवं Ramkishor Saini S/o SITA RAM SAINI	श्री सीताराम सैनी पुत्र श्री गंगा राम सैनी	144	444.62 SQ. YARD	Cooperative	MAHESH NAGAR Sector/Block-A	Name Transfer	भूखण्डधारी श्री सीताराम सैनी द्वारा दिनांक 20.02.2004 को श्री लल्लू लाल सैनी, श्री राम किशोर सैनी, श्री सत्यनारायण सैनी एवं श्रीमती लाडा देवी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा, श्री सीताराम सैनी, श्रीमती लाडा देवी एवं श्री लल्लू लाल सैनी का मृत्यु प्रमाण पत्र, श्री लल्लू लाल के विधिक वारिसान् द्वारा दुकान बाबत श्रीमती सावित्री देवी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र तथा श्रीमती सावित्री देवी द्वारा उक्त दुकान दिनांक 24.01.2024 को श्री सत्य नारायण सैनी एवं श्री राम किशोर सैनी पुत्रान् स्व. श्री सीताराम सैनी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Satya Narayan Saini S/o SITA RAM SAINI एवं Ramkishor Saini S/o SITA RAM SAINI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |